55

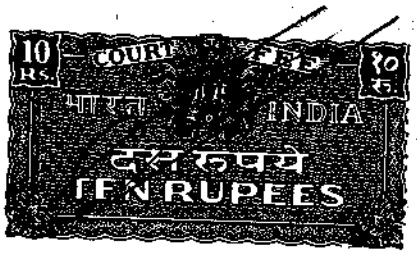

10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 5 COURT FEE ५ भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /05 निगरानी R 854-I/05

1- सुरेन्द्र कुमार } स्व0 श्री भास्कर
2- शैलेन्द्र कुमार } प्रसाद शर्मा
3- कमला देवी वेबा स्व0 श्री भास्कर प्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम कुलहोली हाल निवासी सबलगढ़ तहसील-सबलगढ़, जिला- मुरैना म0प्र0

------ आवेदकगण।

बनाम

1- राजेन्द्र कुमार उर्फ सुदामा प्रसाद
2- प्रमोद कुमार
3- दिलीप कुमार
4- हरिओम पुत्रगण श्री बाबूलाल
5- नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार ब्राह्मण
निवासी मण्डी सन्तर न0-2 सबलगढ़ तहसील-सबलगढ़, जिला-मुरैना म0प्र0

------ अनावेदकगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता -1959 न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ~~ग्वालियर~~ प्र0क्र0 76/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 7.4.05 के विरूद्ध निगरानी

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

------2

- 2 -

(म.प्र.)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 854-एक/2005 निगरानी जिला मुरैना

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.7.16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 76/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़ एंव अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। 3/ विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 26/2001-02 बी 121 मे पारित आदेश दिनांक 11-2-2002 से अनावेदकगण को ग्राम कुल्हौली की भूमि सर्वे कमांक 646 पर स्थित शासकीय कुये से पानी लेने का सुखाचार प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 31/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-2-2002 में दिया गया निष्कर्ष निम्नवत् है :- " राजस्व अधिकारी (नायव तहसीलदार) व्दारा दिया गया एक विविध प्रकार का निष्कर्ष है। शासकीय कुये पर कोई स्वत्त्व प्रश्नाधीन आदेश व्दारा नहीं दिया गया है कुआ आज भी	

शासकीय है और अपीलीय आदेश से रेस्पा0 को विवादित शासकीय कुये पर कोई स्वत्व और स्वामित्व नहीं दिया गया है । अपीलार्थी के खेतों के पास यदि विवादित शासकीय कुआ है तो वह भी कुआ व्यवस्थापन अथवा सिंचाई की सुविधा लेने के लिये विधिवत् कार्यवाही कर सकता है। अपीलार्थी के सुविधा के अधिकार अपीलीय आदेश से अवरूद्ध नहीं होते हैं। ''

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार के आदेश से अपीलांट का प्रत्यक्ष नुकसान नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7-7-2003 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 7-4-2005 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में उक्तादेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 76/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य